

27.08.2024:-पत्रावली पेशी मे ली गई। उभयपक्ष उपस्थित।  
प्रार्थी का वादपत्र अदम हाजरी मे खारिज हो  
गया। मूल वाद पत्र खारिज होने के कारण  
प्रार्थना-पत्र मे कोई कार्यवाही शेष नही रह  
जाती। मूल वादपत्र खारिज होने के कारण प्रार्थी  
का उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.  
ए. मे वर्तमान स्तर पर खारिज कि जाती है।  
पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज  
तकमील दाखिल दफ्तर हो।



सहायक कलेक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ

